




परियोजना का नाम— जनपद नैनीताल के अन्तर्गत प्यूड़ा इण्टर कॉलेज से होते हुए कूल-बिरखन सूड मोटर मार्ग का नव निर्माण ।

क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु भूमि को वन विभाग के नाम हस्तायन्तरण व नामान्तरण घोषित करने का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने का अनुबन्ध ।

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त परियोजना निर्माण में प्रभावित 1.458 है० वन भूमि के बदले दुगने क्षेत्रफल में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु तहसीलदार धारी (नैनीताल) ने अपने पत्रांक 93/र०का०/2015-16 दिनांक 19.01.2016 (सुलभ सन्दर्भ हेतु पत्र की छाया प्रति संलग्न) द्वारा ग्राम अधौडा में 2.916 है० भूमि सिविल वन पंचायत पैमायसी खेत नम्बर 2923 मध्ये चयनित कर उपलब्ध करायी है। उक्त भूमि नोन०ज्येड०ए० खतौनी के श्रेणी 9(3)ड में राज्य सरकार के नाम दर्ज है। ग्राम अधौडा की सिविल वन पंचायत भूमि को क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के नाम हस्तान्तरण व नामान्तरण घोषित करने की कार्यवाही वन भूमि की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त होने के बाद कर दी जायेगी।


कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड-लो०नि०विभाग
नैनीताल।


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड-लो०नि०विभाग
नैनीताल।


अधिसाक्षी अभियन्ता
अधिसाक्षी अभियन्ता
निर्माण खण्ड-लो०नि०विभाग
निर्माण खण्ड-लो०नि०वि०
नैनीताल

संयुक्त निरीक्षण प्रमाण-पत्र
(क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना हेतु)

परियोजना का नाम:-

- 1- जनपद नैनीताल में प्यूडा इण्टर कॉलेज से होते हुए कूल-बिरखन-सूड़
मोटर मार्ग हेतु 2.916 हैं0
- 2- दरमोली से पिठोली मोटर मार्ग हेतु 2.380 हैं0

प्रमाणित किया जाता है कि आज दिनांक...26-02-16 को उपरोक्त दो मोटर मार्गों से सम्बन्धित क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना हेतु सिविल सोयम भूमि ग्राम अधोड़ा पट्टी पदमपुर के नोन0 ज्येड0 ए0 खतौनी के खाता सं0 -57 के खसरा नं0 2923 मध्ये 5.296 हैं0 भूमि (राजस्व विभाग द्वारा चयनित) भूमि का संयुक्त निरीक्षण राजस्व विभाग धारी, वन विभाग, हल्द्वानी तथा लोक निर्माण विभाग निर्माण खण्ड, नैनीताल के निम्नवत् उपस्थित अधिकारियों/ कर्मचारियों द्वारा किया गया। उपरोक्त भूमि को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त पाया गया तथा चयनित भूमि का डिमाकेशन भी कर लिया गया है।



(अभि)न

सहायक अभियन्ता

सहायक अभियन्ता तृतीय
निर्माण खण्ड, लो० नि० विभाग
नैनीताल

अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
नैनीताल.

कड्डे

वन क्षेत्राधिकारी
डांडा राजि
हल्द्वानी वन प्रभाग

नहसालदार धारा
जनपद-नैनीताल वनप्रभाग
धारी (नैनीताल)

पत्र
कड्डे
प्रकरण
हल्द्वानी वन प्रभाग

जिलाधिकारी-
नैनीताल


उप प्रभागीय वनाधिकारी
भारदा हल्द्वानी वन प्रभाग


प्रभागीय वनाधिकारी
हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी.


परियोजना का नाम— जनपद नैनीताल के अन्तर्गत प्यूड़ा इण्टर कॉलेज से होते हुए कूल—बिरखन सूड मोटर मार्ग का नव निर्माण।

क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध भूमि का स्वामित्व प्रमाण—पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त परियोजना निर्माण में प्रभावित 1.458 है० वन भूमि के बदले दुगने क्षेत्रफल में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु 2.916 है० भूमि ग्राम अधौड़ा में इस खण्ड के उक्त मार्ग हेतु चयनित सिविल वन पंचायत भूमि पैमायसी खेत नम्बर 2923 मध्ये नोन०ज्येड०ए० खतौनी की श्रेणी 9(3)ड में राज्य सरकार के नाम दर्ज है। जिसमें राज्य सरकार का स्वामित्व है। जिसकी स्थल पर किये गये संयुक्त निरीक्षण आख्या संलग्न है।


कनिष्ठ अभियन्ता
निर्माण खण्ड—लो०नि०विभाग
नैनीताल।


सहायक अभियन्ता
सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड—लो०नि०विभाग
निर्माण खण्ड—लो०नि० विभाग
नैनीताल।


अधिसूत्री अभियन्ता
निर्माण खण्ड—लो०नि०विभाग
नैनीताल।

278
18mg
20/01/2016

कार्यालय तहसीलदार धारी (नैनीताल)
पत्रांक- 278 / र0का0 / 2015-16 दि0 19.01.2016

विषय:- क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित सिविल सोयम भूमि के संबंध में।

सेवा में,

उप जिलाधिकारी
धारी, नैनीताल।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके कार्यालय पत्र सं0-226/अहलमद-क्ष0पू0वृ0/भूमि चयन/2015-16 दिनांक 26.12.2015 के अनुपालन में अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 नैनीताल के पत्र सं0 3431/18एम0जी0 दिनांक 08.12.2015 के क्रम में क्रम सं0-1-जैना से चन्द्रकोट-धूरा मोटर मार्ग हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिए राजस्व उप निरीक्षक बबियाड की आख्यानुसार ग्राम बबियाड के नोन0ज्येड0ए0 खाता नं0-48 के खसरा नं0-1191,1525मध्ये 3.258हे0 भूमि चयनित की गयी है, उक्त भूमि नोन0ज्येड0ए0 खतौनी के श्रेणी 9(3)ड में राज्य सरकार के नाम दर्ज हैं, तथा चयनित भूमि वन पंचायत बबियाड के अन्तर्गत है। क्रम संख्या 5- प्यूडा इण्टर कालेज होते हुए कूल बिरखन सूड मोटर मार्ग हेतु 2.916 हे0 व क्रम संख्या 6- दरमोली से पिठोली मोटर मार्ग हेतु 2.380 हे0 कुल 5.296 हे0 भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु राजस्व उपनिरीक्षक पदमपुर/गौनियारौ की आख्यानुसार ग्राम अधौडा पट्टी पदमपुर के नोन0ज्येड0ए0खतौनी के खाता नं0-57 के खसरा नं0-2923 मध्य 5.296हे0 भूमि चयनित की गयी है। प्रस्तावित उक्त चयनित भूमि नोन0ज्येड0ए0 खतौनी के श्रेणी 9(3)ड में राज्य सरकार के नाम दर्ज है। रा0उ0नि0की आख्यानुसार उक्त भूमि वन पंचायत अधौडा के अन्तर्गत है।

प्रस्तावित उक्त चयनित भूमि को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु हस्तान्तरित किये जाने के लिए खसरा खतौनी सहित प्रस्ताव सेवा में सादर प्रेषित।

संलग्न- उपरोक्तानुसार।
18mg 20-01-16

(नवाजिश खलीक)
तहसीलदार
धारी।

प्रतिलिपि- अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 नैनीताल को उनके पत्र दिनांक 08.12.2015 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(नवाजिश खलीक)
तहसीलदार
धारी